

विद्युत पैकेज संख्या-10, 11 व 12 दिनांक 18.02.2017



जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 17/12 दि. 20/02/2017

आदेश

विषय – कृषि श्रेणी में बढाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में।

विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.09.2016 के द्वारा विद्युत दरों में बढोतरी की गई थी, जो कि 01 सितम्बर, 2016 के पश्चात् किये गये उपभोग पर लागू थी। तदनुसार 01 सितम्बर, 2016 के पश्चात् के उपभोग पर सभी श्रेणीयों के उपभोक्ताओं को नई दरों से विद्युत विपन्न जारी करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार कृषि श्रेणी में निम्नलिखित विद्युत दरों के अनुसार विद्युत बिल जारी किये जा रहे थे :


कृषि श्रेणी	01 सितम्बर, 2016 से लागू पूर्व विद्युत दरें		
	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान	उपभोक्ताओं द्वारा वहन विद्युत दर
मीटर श्रेणी	रु. 4.75 प्रति युनिट	रु. 3.60 प्रति युनिट	रु. 1.15 प्रति युनिट
फ्लैट रेट श्रेणी	रु. 635 प्रति एच.पी प्रति माह	रु. 515 प्रति एच.पी. प्रति माह	रु. 120 प्रति एच.पी. प्रति माह

राज्य सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए पूर्व की दरों को ही यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय की पालना में सामान्य श्रेणी (ब्लॉक सप्लाई) के कृषकों को निम्नानुसार बिल जारी करने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं :

कृषि श्रेणी	01 सितम्बर, 2016 से लागू विद्युत दरें		
	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान	उपभोक्ताओं द्वारा वहन विद्युत दर
मीटर श्रेणी	रु. 4.75 प्रति युनिट	रु. 3.85 प्रति युनिट	रु. 0.90 प्रति युनिट
फ्लैट रेट श्रेणी	रु. 635 प्रति एच.पी प्रति माह	रु. 550 प्रति एच.पी. प्रति माह	रु. 85 प्रति एच.पी. प्रति माह

जिन कृषि उपभोक्ताओं ने 01 सितम्बर, 2016 से अब तक बढ़ी हुई दरों से विद्युत बिल जमा करा दिये हैं, उनके द्वारा जमा कराई गई अतिरिक्त राशि का समायोजन आगामी बिलों में किया जायेगा। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


आज्ञा से


(यू.एस. चौहान)

अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, () जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गौराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु)।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,.....(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।


अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर